



आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, जोधपुर  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & C. Ex./ST, JODHPUR  
जी-105, न्यू इण्डस्ट्रीयल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर-342003  
G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003

\*\*\*\*\*

फा.सं. 11(03)05/स्था./जेडीआर/2019/7182-7218

दिनांक : 06.09.2023

स्थापना आदेश संख्या : 15/2023


दिनांक : 06.09.2023

कार्यालय मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर(जयपुर जोन), जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 33/2023 दिनांक 30.08.2023 के तहत इस आयुक्तालय को आवंटित एवं इस आयुक्तालय में कार्यरत निम्नलिखित ग्रुप 'स' अमंत्रालयिक अधिकारियों (हवलदार/हैड हवलदार) को अग्रिम आदेशों तक, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदास्थापित/स्थानांतरित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री)	कहां से	कहां को
1	DALPAT SINGH	CGST HQRS., JODHPUR	CGST DIVISION-A, JODHPUR
2	ASHU SINGH	CGST HQRS., JODHPUR	CGST DIVISION-C, JODHPUR
3	RAMPAL PRAJAPAT	ON JOINING	CGST DIVISION-D, PALI
4	UMMED SINGH BHATI	CGST DIVISION- H, SRIGANGANAGAR	CGST DIVISION-F, BIKANER
5	RAMESH KUMAR BOHRA	CGST DIVISION- I, SRIGANGANAGAR	CGST DIVISION-G, BIKANER
6	DEEPAK TANWAR	ON JOINING	CGST DIVISION- H, SRIGANGANAGAR
7	MAHADEV SAHARAN	ON JOINING	CGST HQRS., JODHPUR
8	VIMAL KUMAR BAKOLIYA	ON JOINING	CGST HQRS., JODHPUR
9	HAJARI LAL SAINI	ON JOINING	CGST HQRS., JODHPUR

1. क्रम संख्या 3 तथा 6 पर अंकित को आज दिनांक 06.09.2022 (अपरान्ह) को कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय में तुरन्त कार्य ग्रहण करें तथा नवनि्युक्ति होने के कारण कार्यग्रहण अवधि/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. क्रम संख्या 4 तथा 5 पर अंकित अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है। अतः इन्हे स्थानान्तरण यात्रा भत्ता /कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगा।
3. इस आदेश के तहत स्थानान्तरित सभी अधिकारियों को दिनांक 15.09.2023 तक उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जाये ताकि वे नए पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सकें।

यह आदेश आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

  
(राम सिंह गुर्जर)  
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अपर आयुक्त (सीसीओ/सीसीयू), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. अपर आयुक्त (कर अपवंचना)/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर
3. उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग, ए.बी.सी-जोधपुर/डी.ई-पाली/एफ.जी-बीकानेर/एच, आइ-श्रीगंगानगर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर व सीमा शुल्क, जयपुर।
5. महासचिव, 'स' अमंत्रालयिक अधिकारी (हवलदार/हैड हवलदार), संघ, जयपुर।
6. महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सी.जी.एस.टी. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, राजस्थान
7. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
8. निजी प्रति/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड।
9. अधीक्षक (कम्प्यूटर) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने।